न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री वालाराम पुत्र खीमाजी, जाति-चौधरी, निवासी-उड़वारिया, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, उड़वारिया जरिये सरपंच, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री प्रबाराम पुत्र ताराजी, जाति- मेघवाल, निवासी- उड़वारिया, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही (मृतक) के कायम मुकाम:-

2/1. श्री ताराराम पुत्र भीखाजी, जाति- मेघवाल
2/2. श्रीमती संतुदेवी पत्नि श्री ताराराम, जाति- मेघवाल
2/3. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री ताराराम, जाति- मेघवाल
2/4. श्री शंकर पुत्र श्री ताराराम, जाति- मेघवाल
2/5. श्रीमती बबीदेवी पत्नि वीराराम जी पुत्री श्री ताराराम, जाति- मेघवाल
2/6. श्री मगनलालाल पुत्र श्री ताराराम, जाति- मेघवाल
2/7. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ताराराम, जाति- मेघवाल
2/8. श्री श्रवणकुमार पुत्र श्री ताराराम, जाति- मेघवाल
2/9. वीनादेवी पुत्री श्री ताराराम, जाति- मेघवाल

सर्व निवासीयान- उड़वारिया, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

3. श्री रमेश पुत्र ताराजी, जाति-मेघवाल, निवासी-उड़वारिया, तह.रेवदर, जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 55/2013

''निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री सुरेश वैष्णव, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या-2/1 से 2/9 व 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 28 फरवरी, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा श्री प्रबाराम पुत्र ताराजी एवं श्री रमेश पुत्र ताराजी, जाति- मेघवाल, निवासीयान- उड़वारिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 26, 27.12.2001 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 को नोटिस

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तामिल होने के बाद भी अनुपस्थित रहे। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 श्री प्रबाराम को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस मृत्यु की सूचना के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ। जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 श्री प्रबाराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने व पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 2/1 से 2/9 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 2/1 से 2/9 की ओर से से भी अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा द्वारा उपस्थिति दी गई तथा अप्रार्थी संख्या- 2/1 से 2/9 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वैष्णव ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम उड़वारिया में होली चौक के पास सार्वजनिक भूमि स्थित है जिसका ग्रामवासियों द्वारा होलीका दहन व सार्वजनिक कार्य हेतु उपयोग किया जाता है, परन्तु ग्राम पंचायत, उड़वारिया ने सार्वजनिक भूमि का श्री प्रबाराम व रमेश के पक्ष में पट्टा संख्या 44/244 दिनांक 26,12.2001 को जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध एवं गलत है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक उपयोग व होली चौक की भूमि का पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। उक्त पट्टा संख्या 44/244 की चतुर्दशी पूर्व में बरगाराम पुत्र धरमाजी मेघवाल, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में आम रास्ता दर्शाया है व नाम उत्तर-दक्षिण 80 फीट व पूर्व-पश्चिम 60 फीट कुल क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट दर्शाया है। प्रश्नगत पट्टे में दर्ज चतुर्दशी व नाप के भूखण्ड पर कभी भी श्री प्रबाराम व उसके कायम मुकाम तथा अप्रार्थी रमेश का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही पट्टा जारी करने के दौरान कब्जा था था। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर कोई पुश्तैनी/पुराना मकान या झौपड़ा भी बना हुआ नही है। अप्रार्थी रमेश व प्रबाराम ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर अपने नाम से प्रश्नगत पट्टा संख्या 44 (बुक संख्या 244) जारी करवाया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही व मौके की सही रुप से जांच किये बिना ही पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पुराने पुश्तैनी आवासीय मकानों का ही पट्टा राशि रुपये 265/- वसूल कर जारी करने का प्रावधान है, लेकिन ग्राम पंचायत, उड़वारिया ने होली चौक व सार्वजनिक भूमि जो मौके पर खाली व खुली पडी हुई है का पट्टा जारी किया है। प्रश्नगत पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या- 2/1 ता 2/9 व 3 द्वारा होली चौक व सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निर्माण करने की नियत से नीवं खुदाई करवाई तथा जबरन कब्जा करना चाहते है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/9 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा श्री प्रबाराम व रमेश के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पुराने आवासीय गृह का संबंधित

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आज्ञापक प्रावधानों की पालना व जांच करके नियमानुसार पट्टा संख्या 44/244 दिनांक 26.12.2001 को जारी किया गया है। मौके पर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा होकर मकानात बने हुये है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि कभी भी होली चौक व सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही रही है एवं न ही ग्रामवासियों द्वारा कभी भी प्रश्नगत पट्टे की भूमि को सार्वजनिक उपयोग में लिया गया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत की पुरानी आबादी भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग व होली चौक की भूमि नही है। प्रार्थी ने पंचायत चुनावों की रंजिश के कारण अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से गलत व मनगंढत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके के फोटोग्राफस् प्रस्तुत किये गये है जिनमें मौके पर आवासीय मकान बने हुये दिख रहे है। प्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र पट्टा जारी होने के 12 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है। अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर मकान बने हुये नही है, मौके के जो फोटोग्राफस है वो अन्य किसी जगह के प्रस्तुत किये गये है। होली चौक व सार्वजनिक भूमि के जारी पट्टे के संबंध में प्रार्थी को जानकारी होने के तुरन्त बाद प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। नियम विरुद्ध व बिना अधिकारिता के जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु जानकारी होने पर कभी भी निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा श्री प्रबाराम पुत्र ताराजी मेघवाल व श्री रमेश पुत्र ताराजी मेघवाल, निवासीयान- उड़वारिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 44 दिनांक 26, 27.12.2001 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने आवासीय गृह के विनियमन किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यत: कथन यह है कि ''प्रश्नगत पट्टे में अंकित चतुर्दशी व नाप की भूमि होली चौक व सार्वजनिक उपयोग की भूमि है।'' प्रार्थी का यह भी कथन है कि ''प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा नही रहा है एवं न ही मौके पर मकान बना हुआ है।'' जबकि अप्रार्थी पक्ष का कथन यह है कि ''प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थीगण का पुराना मकान बना हुआ है।''

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष ने प्रश्नगत पट्टे की भूमि होली चौक व सार्वजनिक भूमि होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। जबकि अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रकरण में जो फोटोग्राफस प्रस्तुत किये गये है उनमें केलुपोश व टीनशेड मकान बना हुआ दर्शित हो रहा है, परन्तु अप्रार्थी पक्ष ने भी अपने कथन के समर्थन में अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा विद्युत व पानी बिल आदि प्रस्तुत नही किये है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में

.....पेज चार पर

अति० जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर अप्रार्थीगण का पुराना मकान बना हुआ है अथवा नही? के तथ्य की मौके एवं रेकर्ड की पूर्ण रुप से जांच करने की आवश्यकता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, उड़वारिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि श्री प्रबाराम पुत्र ताराजी मेघवाल व श्री रमेश पुत्र ताराजी मेघवाल, निवासी- उड़वारिया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 26/27.12.2001 की भूमि के मौके व रेकर्ड की पूर्ण रुप से जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

28.02.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही